जाएगा; यदि हां, तो उसे कब तक कार्यान्वित कर दिया जाएगा ; यदि नहीं, तो इस मामले पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या अल्पसंख्यक समुदायों के व्यक्तियों को अपना काम-धंधा शुरु करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर ऋण उपलब्ध कराने की कोई योजना है ?

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 15 सूत्री कार्यक्रम में अन्य बातों के साथ-साथ चयन समितियों को अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधित्व से पूर्ण बनाकर भर्ती में अल्पसंख्यकों पर विशेष ध्यान दिए जाने की भी परिकल्पना की गई है । तथापि, अनन्य रूप से अल्पसंख्यक समुदायों के बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने अथवा अग्रता आधार पर उन्हें नौकरी देने का कोई कार्यक्रम नहीं है । भर्ती के लिए पंजीकरण के साथ-साथ नामिकाएं भेजने के प्रयोजन के लिए अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव न करने को सुनिश्चित करने के संबंध में अनुदेश जारी कर दिए गए हैं । इन अनुदेशों की निगरानी के लिए राज्यों में अल्पसंख्यक कक्ष स्थापित किए गए हैं । और अधिक अल्पसंख्यक उम्मीदवारों के पंजीकरण के लिए अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों तथा अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं का दौरा करने के लिए कुछ राज्यों में सचल रोजगार केन्द्र एकक भी हैं । वर्तमान सरकार ने भर्ती हेतु चयन समितियों में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधि को शामिल करना अनिवार्य बना दिया है । इस संबंध में कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा अनुदेश जारी किए गए हैं । चयन समितियों बोर्डों/आयोगों में अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधित्व की निगरानी के लिए केन्द्र सरकार के विभागों/मंत्रालयों को भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं ।

(ग) अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों में बैंकों की नई शाखाएं खोली जानी हैं ताकि अल्पसंख्यक ऋण सुविधाओं का लाभ उठा सकें । अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण भी अपनाया गया है । तथापि, इस समय अपना स्वंय का व्यवसाय शुरु करने के लिए अल्पसंख्यक बेरोगार युवाओं को अग्रता आधार पर ऋण देने की कोई योजना नहीं है, अल्पसंख्यकों के आर्थिक विकास में सहायता के लिए आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, कर्नाटक तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम/बोर्ड हैं । वर्तमान सरकार ने एक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम स्थापित करने तथा अल्पसंख्यकों के कमजोर वर्गों के आर्थिक उत्थान के लिए अल्पसंख्यक वित्त विकास निगमों/बोर्डों को सहायता देने का निर्णय सिद्धांत रुप में ले लिया है ।

देश में बाल श्रमिक

2736. डा. अरार अहमद खान : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय बाल श्रमिकों की संख्या कितनी है, उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है, सरकार उनके कल्याण के लिए क्या कदम उठा रही है; दिल्ली और राजस्थान के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कुछ बंधुआ बाल श्रमिक भी हैं, यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी कितनी है और सरकार उन्हें मुक्त कराने या उनका पता लगाने के लिए क्या कदम उठा रही है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान बाल-शोषण के विरुद्ध कितने छापे मारे गए तथा कितने व्यक्तियों को दंडित किया गया ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) उपलब्ध नवीनतम जनगणना आकडे वर्ष 1981 के संदर्भ में हैं तथा इनके अनुसार देश में

136.4 लाख बाल श्रमिक हैं । देश में बाल कर्मकारों की राज्य संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है । (**नीचे देखिए**)

बाल श्रमिकों के कल्याण के लिए इस समय निम्नलिखित योजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं :

(i) 1987 में बनायी गयी राष्ट्रीय बाल श्रम नीति में अन्य बातों के साथ-साथ बाल श्रम से संबंधित कानूनी उपबंधों का कारगर कार्यान्वयन, बाल श्रमिकों तथा उनके परिवारों के लाभ के लिए सार्वजनिक कल्याण एवं विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देना और बाल श्रमिकों की बहुलता वाले क्षेत्रों में परियोजनाएं शुरू करना ताकि कामकाजी बालकों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य देख-रेख, व्यवसायिक प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था की जा सके ।

(ii) बाल श्रमिकों को लाभ प्रदान करने के लिए कार्योन्मुखी परियोजनायें प्रारम्भ करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ।

राष्ट्रीय बाल श्रम नीति के अन्तर्गत, जयपुर (राजस्थान) में कीमती पत्थर पालिश करने के उद्योग में कार्यरत बालकों के कल्याण के लिए एक राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना प्रारम्भ की गयी है । दिल्ली में, एक स्वैच्छिक संगठन आवारा (स्ट्रीट) तथा कामकाजी बालकों के कल्याण के लिए एक परियोजना चला रहा है ।

(ख) बंधुआ श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के उपबंधों का प्रवर्तन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है । वे बंधुआ श्रमिकों का पता लगाती हैं तथा उन्हें पुनर्वासित करती हैं । राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार, उन्होंने 31/3/1990 तक 2,45,636 बंधुआ श्रमिकों का पता लगाया है तथा उन्हें मुक्त कराया है जिसमें 2,18,028 को पुनर्वासित किया गया है । अधिनियम के अधीन, "बालक" तथा "किशोर" बंधुआ श्रमिक के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाता है ।

(ग) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों क्षेत्रों से सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

विवरण

1981 की जनगणना के अनुसार बाल कर्मकारों (0–14 आयु समूह) के राज्य-वार विवरण को दर्शाने वाला विवरण

क्रमांक	भारत/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कर्मकारों की संख्या
	भारत	13,640,872
1	आन्ध्र प्रदेश	1,951,312
2	बिहार	1,101,764
3	गुजरात	616,913
4	हरियाणा	194,109

क्रमांक	भारत/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कर्मकारों की संख्या
5	हिमाचल प्रदेश	99,624
6	जम्मू व कश्मीर	258,437
7	कर्नाटक	1,131,530
8	केरल	92,854
9	मध्य प्रदेश	1,698,597
10	महाराष्ट्र	1,557,756
11	मणिपुर	20,217
12	मेघालय	44,916
13	नागालैंड	16,235
14	उड़ीसा	702,293
15	पंजाब	216,939
16	राजस्थान	819,605
17	सिक्किम	8,561
18	तमिलनाडु	975,055
19	त्रिपुरा	242,049
20	उत्तर प्रदेश	1,434,675
21	पश्चिम बंगाल	605,263
22	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1,309
23	अरुणाचल प्रदेश	17,950
24	चंडीगढ़	1,986
25	द दर व नागर हवेली	3,615
26	दिल्ली	25,717
27	गोवा, दमन और दीव	7,378
28	लक्षद्वीप	56
29	मिजोरम	6,314
30	पांडिचेरी	3,606

टिप्पणी :

1. इन आंकड़ों में असम शामिल नहीं है जहां असामान्य स्थिति के कारण 1981 की जनगणना नहीं की जा सकी।

2. इस विवरण में कर्मकारों से आशय मुख्य कर्मकार और सीमान्त कर्मकार दोनों से है।